

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी §
मंगलवार, 28 जून, 1994 / 7 आषाढ़, 1916 § शक §

संख्या 97

सदस्यों की नज़रबन्दी एवं रिहाई

* अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित जम्मू क्षेत्र के जनरल पुलिस का दिनांक 24 जून, 1994 का निम्नलिखित टैलेक्स संदेश, दिनांक 24 जून, 1994 को प्राप्त हुआ।

सर्वश्री चाँद राम, स्वरूप चन्द राजन, जीत राम, पुरारी सिंह पँवार, बलबीर सिंह, करन सिंह, राम पाल करहाना, ओ.पी. बब्बर, नरेश गौड़ को जम्मू कस्बे में सक्रिय सहयोगियों / कार्यकर्ताओं को उक्त विधायकों द्वारा प्रदान करने से शक्ति भंग होने की आशंका होने के बाद कुछ घंटों के लिये पुलिस हिरासत में रखे गये।
तत्पश्चात् वे न्यायालय के आदेश से छोड़ दिये गये।

संख्या 98

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

* अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त, उत्तर ज़िला, दिल्ली का दिनांक 23 जून, 1994 का निम्नलिखित पत्र 24 जून, 1994 को प्राप्त हुआ।

* मुझे आपको यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा कि श्री जय किशन, सदस्य, विधान सभा को सड़क अवरुद्ध करने से रोकने और यातायात के सहज आवागमन को बन्द करने से बाज़ आने के लिये सहायक पुलिस आयुक्त, सिविल लाइंस, दिल्ली के तर्कसंगत निदेशों की अवज्ञा करने के लिये 300 महिलाओं तथा 15 बच्चों सहित उनके 1900 समर्थकों को आई.पी. कालेज दिल्ली के निकट मैटकाफ़ हाउस रोड से हटा दिया जाये।

तदनुसार विधान सभा के उक्त सदस्य को दिनांक 23 जून, 1994 अपराहन 12.40 बजे मैटकाफ़ हाउस रोड से हटाकर इन्द्रप्रस्थ कालेज के ओर की सड़क पर 10 मिनट के लिये नज़रबन्द किया गया और यातायात में किसी प्रकार की और बाधा न डालने और शान्तिपूर्वक तितर बितर हो जाने के लिये उनके तथा उनके समर्थकों के राज़ी हो जाने के बाद उन्हें उसी दिन अपराहन 12.50 बजे रिहा कर दिया गया।

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI VIDHAN SABHA
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday, June 28, 1994/Ashadha 7, 1916 (Saka)

No.97

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following telex message dated the 24th June, 1994 addressed to the Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the General Police, Jammu Zone, was received on 24th June, 1994:

"Sarvashri Chand Ram, Swaroop Chand Rajan, Jeet Ram, Murari Singh Panwar, Balbir Singh, Karan Singh, Ram Pal Karhana, O.P. Babbar, Naresh Gaur, were kept under police custody for a few hours after there was an apprehension of breach of peace from the activist/worker led by the above legislators in Jammu Town.

They were subsequently let off by the order of the Court."

No.98

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following communication dated the 23rd June, 1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha from the Deputy Commissioner of Police, North District, Delhi was received on 24th June, 1994 :-

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978, to direct that Sh. Jai Kishan, member of Vidhan Sabha be removed from the Matcaf House Road, near I.P. College, Delhi for not obeying the reasonable directions of Asstt. Commissioner of Police, Civil Lines, Delhi to desist from blocking the road and to refrain from stopping the natural flow of traffic alongwith his 1900 followers including 300 ladies and 15 childrens.

The above member of Vidhan Sabha was accordingly removed from Matcaf House road at 12.40 hours on 23rd June, 1994 detained at road side of I.P. College for 10 minutes and released on the same day at 12.50 hours after he and his followers agreed not to cause any further obstruction to traffic and to disperse peacefully."

P.N. GUPTA
SECRETARY